संख्या-25/2017/आर-513/26-3-2017-10(7)/2012

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 21 मार्च 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-321/ज0जा0वि0/2016-17, दिनांक-22.02.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना में प्राविधानित धनराशि रूपया-130.00/-लाख के आय-व्ययक के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपया-65.00/- लाख (रूपये पैसठ लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि को योजना के सम्बन्ध में निर्गत नवीनतम शासनादेश संख्या-46/2016/889/26-3-2016, दिनांक-16.03.2016 में वर्णित प्राविधानानुसार लाभार्थियों का चयन कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की गयी प्रथम किश्त की धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग करने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(3) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी.एल.ए./डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र भौतिक प्रगति सहित सूचना महालेखाकार उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-18-अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-25/2017/513(1)/26-3-2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-वरिष्ठ कोषाधिकार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2
4-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
5-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।